UPGK010066642026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर।

पीठासीन अधिकारी– (नितिन कुमार ठाकुर)

एच०जे०एस०– UP2656

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2911/2026

छोटेलाल सिंह उम्र लगभग 51 वर्ष पुत्र रामअधार सिंह निवासी– ग्राम जगदीशपुर, थाना एम्स, जिला गोरखपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोगी।

प्राथमिकी सं0–178/2026,
धारा–2(b)(i),2(b)(xi),3(1) उ०प्र०
गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)
अधिनियम 1986,
थाना–एम्स, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक–31.07.2026

1– प्राथमिकी सं०–178/2026, अन्तर्गत धारा–2(b)(i),2(b)(xi),3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना–एम्स, जनपद–गोरखपुर प्राथमिकी दिनांक 02.07.2026 समय 23:11 बजे के प्रकरण में जेल में निरूद्ध है अतएव यह वर्तमान जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

2– उक्त प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मैं प्रभारी निरीक्षक सन्तोष कुमार अवस्थी मय हमराह हे0का0 संजय सिंह, हे0का0 प्रभात दूबे व का० शशिकान्त सिंह मय सरकारी वाहन बोलेरो संख्या– UP53AG1468 के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वाछिंत / वारण्टी अपराधी व तफ्तीश लम्बित विवेचना में मामूर था कि क्षेत्र में आम जन मानस व विश्वस्त सुत्रों से यह जानकारी प्राप्त हुआ कि धर्मेश सिंह पुत्र छोटेलाल सिंह अपने सह अभियुक्त 1. योगेन्द्र सिंह पुत्र छोटेलाल सिंह 2. छोटेलाल सिंह पुत्र रामअधार सिंह 3. नरेन्द्र सिंह उर्फ मुलायम सिंह पुत्र छोटेलाल सिंह 4. प्रतिमा सिंह पत्नी धर्मेश सिंह के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम किया है जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा श्री

रामसमुझ पुत्र रामधारी को जमीन देने का लांलच देकर कपट पूर्वक आवेदक से लाखों रुपये ले लिये है गैंगलीडर धर्मेश सिंह व उनके सहयोगियो के झांसे में आकर आवेदक द्वारा चेक के माध्यम से विभिन्न अवधि में नकद और चेक के माध्यम से करीब 22 लाख रूपये ट्रांसफर करना तथा पैसा लेने के उपरान्त गैंगलीडर धर्मेश सिंह व उसके सहयोगियो द्वारा जमीन देने का वादा करना परन्तु जमीन बैनामा नहीं करना तथा आवेदक का सारा पैसा हड़प लेना। आवेदक द्वारा अपना पैसा वापस मांगने पर गैंगलीडर व उसके सहयोगियों द्वारा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में आवेदक श्री रामसमुझ उपरोक्त के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0–331/2023 धारा–406, 420, 506 भादवि थाना एम्स जनपद गोरखपुर पंजीकृत किया गया है दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में विवेचक द्वारा दिनाँक 08.02.2024 को अन्तर्गत धारा–406,420,506 भादवि में अभियुक्तगण धर्मेश सिंह, योगेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह उर्फ मुलायम सिंह, छोटेलाल सिंह व प्रतिमा सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र किता कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन माननीय न्यायालय है। इसी क्रम में आवेदक श्री परमात्मा पुत्र राम अवध के लिखित तहरीर के आधार पर दिनाँक 17.01.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0–17/2026 धारा–318(4), 351(3), 352, 61(2) बीएनएस थाना एम्स जनपद गोरखपुर बनाम धर्मेश सिंह व तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्ता प्रतिमा सिंह पत्नी धर्मेश सिंह उपरोक्त का नाम प्रकाश में लाते हुए विवेचक द्वारा दिनाँक 21.02.2026 को अन्तर्गत धारा–318(4), 351 (3), 352,61 (2) बीएनएस में अभियुक्त धर्मेश सिंह पुत्र छोटेलाल सिंह व प्रतिमा सिंह पत्नी धर्मेश सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र किता कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन माननीय न्यायालय है। अभियुक्तगणों द्वारा अनुचित, आर्थिक, दुनियाबी व भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी करके पैसे हड़प लेना व गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने जैसे अपराध कारित करने में संलिप्त रहते हुए आम जनमानस में दहशत, सन्त्रास व आतंक फैलाने का काम करते है तथा लोक साक्षी को अपने विधि पूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकते है तथा रोकने का प्रयत्न भी करते है साथ ही साथ उक्त गैंग अपराध से अर्जित धन से स्वयं व गिरोह तथा परिजनों के नाम से चल अचल सम्पत्ति क्रय करते है व पैतृक व पुराने मकानों को आधुनिकीकरण कराते हुए आन्तरिक साज– सज्जा व अवैध धन खर्च करते हैं इनके आपराधिक क्रिया कलाप के कारण सामान्य जन इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने से कतराते है। उक्त गिरोह के किये गये कार्यों से जनता में भय व दहशत का माहौल है व सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस गिरोह की सक्रियता जनपद स्तर पर सक्रिय है। इनकी गतिविधियों व गैंगचार्ट में दर्शित अभियोग के आधार पर उक्त अभियोग में गैंग लीडर व गैंग के सदस्यों पर गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही

नही की गयी है, सभी अभियुक्तगण स्वस्थ्य, वयस्क एवं जीवित व मौजूद है। उक्त गिरोह द्वारा किया गया आपराधिक कार्य 30प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली 2021 की धारा–22 के अनुसार उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा–2 (ख) की उप धारा– (i),(xi) में आच्छादित है जो धारा–3 (1) गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत दण्डनीय अपराध हैं।

3– उक्त जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों का उल्लेख करते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष रखा गया कि आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है तथा निर्दोष व्यक्ति है तथा मनगढ़ंत कहानी तैयार कर आवेदक को फर्जी तरीके से उक्त मुकदमे में फसाकर अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रतर यह तर्क रखा गया कि उक्त घटना का नामजद कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा आवेदक समाज का सम्मानित व्यक्ति है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखा गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रतर यह तर्क रखा गया कि आवेदक किसी भी सक्रिय गिरोह का सदस्य नहीं है न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अपराध में जान बूझकर शामिल हुआ है और आखिर में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष यह कहा गया कि आवेदक जमानत दिये जाने की दशा में न्यायालय द्वारा अभिकथित किसी भी शर्त को मानने हेतु तैयार है। अतएव आवेदक की जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश दिया जाये।

4– उक्त के विपरीत विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि आवेदक के विरूद्ध पुलिस द्वारा यथोचित तथ्य जुटाये गये हैं जिससे उसके विरूद्ध उक्त अधिनियम के तहत अपराध का बनना दर्शित है अतः उसके द्वारा किया गया अपराध उक्त अधिनियम के तहत गम्भीर प्रकृति का अपराध है फलस्वरूप वह उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस स्तर पर जमानत पाने का अधिकारी नहीं है अतएव इस वर्तमान जमानत आवेदन को निरस्त किया जाये।

5– पत्रावली एवं सभी संबद्ध दस्तावेजों का सम्यक अवलोकन किया एवं दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखे गये तर्कों का गहन मनन किया।

6– उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 जोकि एक विशिष्ट उद्देश्य के तहत विधायिका द्वारा अस्तित्व में लाया गया है के विशिष्ट प्रावधान धारा–19 उपधारा–4 के प्रावधानों के तहत

> **विशेष न्यायालय उन्हीं दशाओं में जमानत प्रदान कर सकेगा जिनमें लोक अभियोजक को जमानत आवेदन का विरोध करने हेतु समुचित अवसर दिया गया हो और न्यायालय को यह संतुष्टि हो कि युक्तियुक्त आधार यह**

विश्वास किये जाने का हो कि आवेदक इस प्रकार के अपराध का दोषी नहीं है तथा उसके द्वारा जमानत की अवधि में कोई अपराध कारित नहीं किया जायेगा।

उक्त विशिष्ट प्रावधान के दृष्टिगत इस स्तर पर जबकि पुलिस द्वारा विभिन्न दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें आवेदक के द्वारा कथित रूप से कारित किये गये अपराध का जिक्र है जिनके रहते हुए **इस स्तर पर** इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधान के तहत संतुष्ट होना कि आवेदक द्वारा उसके विरूद्ध लगे अभियोग सदृश कोई अपराध नहीं किया गया है कि तरह का मत नहीं दिया जा सकता। अतएव मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर और अधिक गहनता से विमर्श न करते हुए यह न्यायालय उक्त अधिनियम के द्वारा न्यायालय हेतु नियत की गई परिधि के तहत इस वर्तमान जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाना विधि सम्मत नहीं समझती है।

आदेश

तद्नुसार, आवेदक **छोटेलाल सिंह** का जमानत आवेदन सं०-**2911/2026** जोकि प्राथमिकी सं०-178/2026, अन्तर्गत धारा-2(b)(i),2(b)(xi),3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना-एम्स, जनपद-गोरखपुर से संबंधित है **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक-31.07.2026

(नितिन कुमार ठाकुर)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-2/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर।